

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग2-

संख्या-513/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(180)-2021

लखनऊ: दिनांक: 02 जून, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर तथा इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, अधिसूचना सं-0क0नि0-2-690/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0 एक्ट-1-2017-आदेश-(30)-2019 दिनांक 01 मई, 2019, में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में,-

(क) शब्द "जिनके मामले में राज्य कर का भुगतान करने की देयता है" के स्थान पर शब्द "जो कि राज्य कर का भुगतान करेंगे" रख दिये जायेंगे;

(ख) शब्द "सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जहां अपेक्षित हो, परियोजना के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि या उनके प्रथम कब्जे पर, जो भी पहले हो, को उत्पन्न होगा" के स्थान पर शब्द "उस कर अवधि में, जो कि ऐसी कर अवधि के पश्चात न हो, जिसमें, जहां अपेक्षित हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना के लिये पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तारीख या उसके प्रथम कब्जे की तारीख, जो भी पहले हो, पड़ती हो" रख दिये जायेंगे ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 2 जून, 2021 से प्रवृत्त होगी ।

आज्ञा से,



(संजीव मित्तल)

अपर मुख्य सचिव